

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

दिनांक तेजेंद्र सिंह बनाम दलिनंद सिंह आदि
 करण संख्या ५१ / २०२३ अन्तर्गत धारा २१२ RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

२५^६/_{२५}

अदिपक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी / अप्राची सि. १ की ओर से पकालतवाग्रा पेश नहीं। अप्राची सि. १ को रक-२ फर ३ बार आवान लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची सि. १ के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अतः स्टेट बंद किया जाता है। बतस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिखाया प्राची का प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थापी विधेधारा दिनांक १७/५/२३ को मूलवाद के विनिर्दि तक स्थापी किया जाता है। पत्रावली विनिर्दि होकर गम्बर से फर होकर मूलवाद के साथ सेलमन हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर